सुपर 50 योजना अंतर्गत बालिकाओं के छात्रावास हेतु स्थानांतरण के आधार पर महिला वार्डन की आवश्यकता

सुपर 50 योजना अंतर्गत शासकीय सुभाष उमावि. शिवाजी नगर भोपाल में संचालित बालिकाओं के छात्रावास हेतु स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत तथा स्थानांतरण के आधार पर महिला वार्डन की आवश्यकता है। यह स्थानांतरण वर्तमान में धारित समान पद एवं समान वेतनमान पर होगा। स्थानांतरण में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. शिक्षिका म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में व्याख्याता / वरिष्ठअध्यापक / शिक्षिका / अध्यापक / सहायकशिक्षिका / सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ हो।
2. विद्यालय द्वारा छात्रावास में ही उपलब्ध कराये गये आवास में रहने को तत्पर हो।
3. उम्र 35 वर्ष से कम न हो।
4. छात्रावास प्रशासन के साथ–साथ शिक्षण कार्य भी कर सके। नियमित शिक्षण कार्य करने पर अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा राशि रुपये 3000/– होगी।

इच्छुक अभ्यर्थी महिला शिक्षिकाएं निम्नांकित प्रारूप में केवल ई–मेल के माध्यम से cpibhop@nic.in पर दिनांक 23/07/2011 के शाम 5.00 बजे तक आवेदन करें। डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं हैं :–

1. यूनिक कोड
2. नाम
3. पिता/पति का नाम
4. जन्मतिथि
5. मूल निवास का जिला
6. वर्तमान में धारित पद
7. वर्तमान वेतनमान
8. कार्यरत संस्था
9. डी.डी.ओ. संस्था एवं कोड
10. विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं पद
11. विवाहित/अविवाहित
12. परिवार में सदस्यों की संख्या
13. क्या छात्रावास में उपलब्ध आवास में रहने हेतु सहमति है ?
14. डाक का पता
15. मोबाइल नंबर

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश